–तरेसठ–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–896/11–2005–500(116)–2003
लखनऊ, दिनांक 20 मई, 2005
अधिसूचना

प0आ0–243

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अर्थान्तर्गत आने वाली किसी ऐसी कम्पनी, जो राज्य की चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 के अधीन किसी चीनी मिल में तीन सौ पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करती है और 31 मार्च, 2007 को या उससे पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करती है, जो नई चीनी मिलों की स्थापना या विद्यमान चीनी मिलों के विस्तार सम्बन्धी परियोजनाओं में, जिसके अन्तर्गत चीनी उद्योग से सम्बन्धित निवेश यथा शीरा से एथॅनाल, अल्कोहल, खोई से सह विद्युत का उत्पादन भी है, 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के भीतर उक्त धनराशि का निजी क्षेत्र में निवेश करती है और जो भूमि का उपयोग राज्य की चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये नहीं करती है, के पक्ष में निष्पादित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण विलेख पर देय निबन्धन फीस से छूट प्रदान करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निर्देश देते हैं कि उपर्युक्त छूट उपर्युक्त नीति की शर्तों के अध्याधीन होगी और यदि किसी उद्यमी द्वारा राज्य की उपर्युक्त नीति की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य सरकार हस्तान्तरण विलेख पर दी गयी छूट की धनराशि की वसूली हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन के दिनांक से 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित वसूल करेगी।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5-896/XI-2005-500(116)-2003, dated May 20, 2005 for general information:

No. K.N.-5-896/XI-2005-500(116)-2003
Lucknow, Dated May 20, 2005
Notification

In exercise of the powers under section 78-A of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) as amended in its application to Uttar Pradesh, the

Governor is pleased to remit from the date of publication of this notification in the Gazette, the registration fees payable on instruments of Conveyance under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) executed in favour of a company within the meaning of Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956) who either invest rupees three hundred and fifty crore or more in a sugar mill and starts commercial production on or before March 31, 2007 in the State under the Sugar Industry Promotion Policy, 2004 of the State, in projects relating to establishment of new sugar mills or expansion in existing sugar mills by investing the aforesaid amount in private sector including investment related to sugar industry like production of ethanol from molasses, alcohol, co-generation of electricity from bagasse, in the State under Sugar Industry Promotion Policy, 2004 of the State, with in a period from April 1, 2004 to March 31, 2007 and who does not use the land for a purpose other than that mentioned in the Sugar Industry Promotion Policy, 2004 of the State.

The Governor is further pleased to direct that the above exemption shall be subject to the conditions of the aforesaid Policy and if any of the condition of the above Policy of the State is violated by any entrepreneur, the State Government shall recover the amount of registration fee exempted on the deed of conveyance along with an interest at the rate of 15 percent per annum from the date of execution of the conveyance deed.

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.